(1)

202

न्यायालय श्रीमान भू–राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक........./18

III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा/2018/0155

1. शिबुआ पुत्र श्रीधुंधा, जाति– ढीमर, आयु–77 वर्ष, व्यवसाय– कृषि
2. जयराम पुत्र श्री मोतीलाल, जाति–केवट, आयु – 52 वर्ष, व्यवसाय– कृषि,
3. रघुवीर सिंह पुत्र श्रीमोतीलाल, जाति–केवट, आयु –57 वर्ष व्यवसाय– कृषि, समस्त निवासीगण–ग्राम अचलगढ, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

श्री विनोद कुमार वर्मा द्वारा आज दि० 5-1-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 5-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

वीरेन्द्र सिंह पुत्र मानक चन्द्र, जाति– जैन, व्यवसाय–व्यापार,

.... अनावेदक

Noted
Vinod Kumar Verma
19/01/18

न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 43अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 04.11.2017 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय मुगांवली का आदेश दिनांक 04.11.2017 अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने आपस्त किये जाने योग्य है। आदेश दिनांक 04.11.2017 एनेग्जर ए–1 है।

2– यह कि, अधीनस्थ विचारन न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बगैर जो

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2018/0155

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद कुमार वर्मा उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार तहसील अशोकगनर जिला अशोकगनर के प्रकरण कमांक 04/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 04.11.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी मुगांवली जिला अशोकनगर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 **अनुविभागीय अधिकारी मुगांवली जिला अशोकनगर**	